

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बड़जलास-अरुण कुमार पुरोहित, आई.एस

म्यूटेशन अपील संख्या -166/2023
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर-2023/193

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
1. प्रेमराम पुत्र चतराराम जाति खाती निवासी सुरपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर		1. अखाराम पुत्र आईदान जाति खाती
2. रामलाल पुत्र चतराराम जाति खाती निवासी सुरपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर		2. अनीदेवी पुत्री आईदान जाति खाती
3. रूकमा पुत्री चतराराम पत्नी नरसीराम जाति खाती निवासी घटु तहसील व जिला बीकानेर		3. ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम जाति खाती
4. किसनी देवी पुत्री चतराराम पत्नी देवाराम जाति खाती निवासी घटु तहसील व जिला बीकानेर		4. कमला देवी पत्नी रामुराम जाति खाती
5. रेवन्ती पुत्री चतराराम पत्नी भजनाराम जाति खाती निवासी घटु तहसील व जिला बीकानेर		5. किसनाराम पुत्र गंगाराम जाति खाती
6. मनोहरी देवी पुत्री चतराराम पत्नी सोहनलाल जाति खाती निवासी जोरावरपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर अपीलान्त सं. 2 से 6 जरिए आम मुख्त्यार अपीलान्त सं. 1 प्रेमराम पुत्र चतराराम जाति खाती निवासी सुरपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर ।		6. कोजाराम पुत्र देशराम जाति खाती
		7. कोजाराम पुत्र लादूराम जाति खाती (नाम हटाया गया दिनांक 22.05.2024)
		8. गुड्डी पुत्री गंगाराम जाति खाती
		9. गुमानी पुत्री आईदान जाति खाती
		10. गीता पत्नी गंगाराम जाति खाती
		11. गोपीराम पुत्र लादूराम जाति खाती (नाम हटाया गया दिनांक 22.05.2024)
		12. गोपीराम पुत्र देशराम जाति खाती
		13. चैनाराम पुत्र गंगाराम जाति खाती
		14. चैनाराम पुत्र आईदान जाति खाती
		15. जगदीश पुत्र रामुराम जाति खाती
		16. जगदीश पुत्र गंगाराम जाति खाती
		17. डालाराम पुत्र रामुराम जाति खाती
		18. दुर्गा पुत्री आईदान जाति खाती
		19. पप्पू पुत्री आईदान जाति खाती
		20. पप्पूराम पुत्र रामुराम जाति खाती
		21. प्रेमचन्द्र पुत्र गंगाराम जाति खाती
		22. भंवरलाल पुत्र गंगाराम जाति खाती
		23. भंवरी पुत्री आईदान जाति खाती
		24. भीथाराम पुत्र रामुराम जाति खाती
		25. रूपाराम पुत्र रामुराम जाति खाती
		26. रामुराम पुत्र लादूराम जाति खाती (नाम हटाया गया दिनांक 22.05.2024)
		27. रामुराम पुत्र गंगाराम जाति खाती
		28. रिछपाल पुत्र रामुराम जाति खाती नाबालिग जरिए कुदरती वली माता कमला देवी जाति खाती
		29. लिखमाराम पुत्र रामुराम जाति खाती
		30. लिछमा पुत्री गंगाराम जाति खाती
		31. शंकरलाल पुत्र आईदान जाति खाती
		32. श्रवणराम पुत्र गंगाराम जाति खाती
		33. सुखाराम पुत्र आईदान जाति खाती
		34. सुन्दरलाल पुत्र आईदान जाति खाती



2
कलक्टर नागौर

35. समा पुत्री आईदान जाति खाती
36. सीमा पुत्री रामुराम जाति खाती नाबालिग
जरिए कुदरती वलीया नाता कमला देवी
जाति खाती
37. हरिराम पुत्र गंगाराम जाति खाती सभी
निवासीगण ग्राम सुरजाना तहसील व जिला
नागौर
38. तहसीलदार जी, नागौर तहसील व जिला
नागौर

उपस्थिति :-

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्याम कुमार व्यास एवं श्री ओमप्रकाश गौड़।
2. रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6,8 से 10,12 से 25,27 से 37 की ओर से
वकील श्री श्याम बारूपाल।
3. रेस्पोंडेंट संख्या 38 की ओर से राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :-26.11.2024

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वाके ग्राम सुरजाना का म्यूटेशन संख्या 15 जो तहसीलदार,नागौर द्वारा दिनांक 22.05.1992 को स्वीकृत किया गया है, से ब्यथित होकर यह अपील दिनांक 29.09.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना-पत्र आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 का दिनांक 22.05.2024 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण के रेस्पोंड संख्या 7,11,26 का नाम प्रस्तुत प्रकरण से हटाये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना-पत्र के साथ अपना शपथ-पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स के नाना लादूराम की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नं. 770 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा नं. 817 रकबा 3.4965 हैक्टेयर, खसरा नं. 818 रकबा 2.2339 हैक्टेयर, खसरा नं. 824 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नं. 825 रकबा 2.0882 हैक्टेयर वाके ग्राम सुरजाना तहसील व जिला नागौर स्थित है। स्व0 लादूराम जी के एक पुत्री अपीलांट की माता ही थी। स्व0 लादूराम जी का देहान्त होने के बाद उनका फौतगी नामान्तरण संख्या 15 दिनांक 22.05.1992 को तहसीलदार जी द्वारा स्वीकृत किया गया,जिसमें अपीलांट्स की माता का नाम दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए यह नामान्तरण शुरू से ही विधि विरुद्ध था,इसलिए इस प्रकार के नामान्तरण में पारित किये गये आदेश की अपील में मयाद का बिन्दू नहीं बनता है। इस नामान्तरण की जानकारी अपीलांट को दिनांक 28.07.2023 को राजस्व रेकर्ड की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने पर हुई हैं तथा जानकारी से यह अपील मयाद में पेश की गई है,जो अन्दर मयाद है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार की जायें।

विद्वान वकील रेस्पोंडेंट का कथन है कि नामान्तरण दिनांक 22.05.1992 को स्वीकृत हुआ है,जबकि अपील दिनांक 29.09.2023 को पेश की गई है। अपील बिलम्ब से प्रस्तुत करने के पर्याप्त कारण प्रार्थना-पत्र में नहीं दर्शाये गये हैं। इसलिए अपील मयाद बाहर होने से खारिज फरमायी जायें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील के प्रस्तुत मयाद प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र व बहस में किये गये कथन पर विचार किया गया।



प्रकरण में कानूनी बिन्दू निहित होने से अपीलांट का मयाद प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलान्ट को अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

मूल अपील पर वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह कथन किया कि अपीलांट्स के नाना स्व० लादूराम जी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नं. 770 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा नं. 817 रकबा 3.4965 हैक्टेयर, खसरा नं. 818 रकबा 2.2339 हैक्टेयर, खसरा नं. 824 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नं. 825 रकबा 2.0882 हैक्टेयर वाके ग्राम सुरजाना तहसील व जिला नागौर स्थित है। अपीलांट्स के नाना लादूराम जी का देहांत हो चुका है। किन्तु अपीलांट्स के नाना लादूराम के देहांत के पश्चात् जब उपरोक्त उनकी जमीन का फौतगी नामान्तरण स्वीकृत किया गया, तब उस फौतगी नामान्तरण में अपीलांट्स की माता जो कि लादूराम जी की जायंदा पुत्री थी उनका नाम दर्ज नहीं कर लादूराम के भाई देराजराम के वारिसान को लादूराम के वारिस बताकर नामान्तरण जैर अपील अवैध एवं विधि विरुद्ध ढंग से तहसीलदार, नागौर द्वारा दिनांक 22.05.1992 को स्वीकृत आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध तथा मनमाने ढंग से कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क है कि स्व० लादूराम जी के एक मात्र जायंदा पुत्री मोहनीदेवी थी एवं मोहनी देवी के जायंदा वारिसान सभी अपीलांट्स हैं। इस प्रकार लादूराम जी के देहांत के पश्चात् उनका फौतगी नामान्तरण में लादूराम की पत्नी मिरघां व एक मात्र पुत्री मोहनी का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था किन्तु हल्का पटवारी व आर.आई. ने मजमेआम में पूछताछ कर लादूराम के वारिसान रामूराम, गोपीराम, कोजाराम व मिरघां को बताकर नामान्तरण जैर अपील स्वीकृत करवा दिया, जबकि यह सभी वारिसान लादूराम के सगे भाई देराजराम के वारिस थे। जो अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदी से भी स्पष्ट हैं। इसलिए आदेश जैर अपील काबिल निरस्त किये जाने योग्य हैं।

बहस में यह भी कथन था कि नामान्तरण जैर अपील स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट्स की माता मोहनीदेवी को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई एवं देराजराम के वारिसान ने अपीलांट्स के हक हिस्से की भूमि को हड़प करने की नियत से अपने आपको लादूराम के वारिसान बताकर अपीलांट्स के हक हिस्से की भूमि अपने नाम करवा ली एवं हल्का पटवारी व भू०अभिलेख निरीक्षक ने भी उनसे मिली भगत कर उनके नाम नामान्तरण स्वीकृत करवा दिया। अपीलांट्स की माता मोहनीदेवी जो कि लादूराम जी की एकमात्र जायंदा पुत्री थी तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार स्व. लादूराम जी की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से अपीलांट की माता मोहनीदेवी का नाम फौतगी नामान्तरण में लादूराम जी के स्थान पर दर्ज किया जाना चाहिए था। अपीलांट्स की माता मोहनी का देहांत हो चुका है। इस कारण अब स्व० लादूराम जी के हक हिस्से की भूमि के एक मात्र अधिकारी अपीलांट्स ही हैं।

अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नागौर द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 15 स्वीकृति आदेश दिनांक 22.05.1992 को निरस्त किया जावे तथा स्व. लादूराम पुत्र जालाराम के स्थान पर अपीलांट्स के नाम नामान्तरण स्वीकृत फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोंडेंट का बहस में कथन है कि तहसीलदार जी नागौर द्वारा नामान्तरण संख्या 19 में स्वीकृति का आदेश दिनांक 22.05.1992 मजमे आम में सुनवाई कर पारित किया गया है। इस स्वीकृति आदेश की मोहनीदेवी को पूरी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने अपने जीवनकाल में कभी भी इस आदेश को चुनौती नहीं दी है। अब अपीलांट्स की नियत खराब हो गयी है एवं वह रेस्पोंडेंट्स की भूमि हड़प करना चाहते हैं। इसलिए अपील अपीलांट्स खारिज फरमायी जावे।



2
कलक्टर नागौर

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तरण नकल संख्या 15 एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त असल नामान्तरण के अवलोकन से यह प्रकट है कि खेत खसरा नं. 770 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा नं. 817 रकबा 3.4965 हैक्टेयर, खसरा नं. 818 रकबा 2.2339 हैक्टेयर, खसरा नं. 824 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नं. 825 रकबा 2.0882 हैक्टेयर वाके ग्राम सुरजाना लादूराम पिता जालाराम की सहखातेदार के खेत रहे हैं। प्रस्तुत नामान्तरण नकल नामा संख्या 148 के अनुसार एवं ग्राम पंचायत, सथेरण के उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति अनुसार लादूराम पुत्र जालूराम की जायन्दा पुत्री मोहनी देवी थी। इस तथ्य को रेस्पोंडेंट भी इन्कार नहीं करते हैं। इस प्रकार जब लादूराम की मृत्यु हुई एवं उनका फौतगी नामान्तरण प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में दर्ज किया गया उस समय उनकी पुत्री का नाम भी संयुक्त रूप से दर्ज किया जाना था परन्तु नामान्तरण संख्या 15 में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया है। तथा स्व० लादूराम के जायन्दा पुत्र, रामूराम, कोजाराम, गोपीराम नहीं होते हुवे भी इस नामान्तरण में उनको लादूराम के जायन्दा पुत्र बताते हुए यह नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, जो विधि विरुद्ध है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम सुरजाना के नामान्तरण संख्या 15 में तहसीलदार, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.1992 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, नागौर को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि स्व० लादूराम के विधिक वारिसान की जाँच की जाकर प्रभावित पक्षकारों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुवे नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरण में आदेश पारित किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का असल रिकार्ड पुनः लौटाया जावे तथा निर्णय की प्रति तहसीलदार, नागौर पालना हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अरुण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर